न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/35/2024

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2024/124

अपीलार्थी
श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री ताराचन्द शर्मा,
नि0. खेडली, तहसील–कठूमर
जिला–अलवर (राज.)–321606

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 16.10.2024

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27.11.2024

1. अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने **सूचना आवेदन दिनांकः 24.08.2024** के द्वारा "श्रीमती देवकी भारवानी पत्नि श्री कमलेश कुमार ने अपनी पुत्री पायल पुत्री श्री कमलेश कुमार का गलत तथ्य प्रस्तुत कर तहसीलदार कठूमर (अलवर) के कार्मिकों के साथ मिलीभगत व भ्रष्टाचार कर जारी करवाये गये मूल निवास प्रमाण–पत्र संख्या : 20326830146 दिनांकः 30.12.2020 की जॉच कर निरस्त करने बाबत रजिस्टर्ड–पत्र के माध्यम से प्रस्तुत शिकायत प्रा0पत्र दिनांकः 30.07.2024 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही" बाबत सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने/किए गए विनिश्चय के विरूद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. आर.टी.आई/2024–25/413–14 दिनांकः 04.11.2024 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना/कार्यवाही से संसूचित कर प्रति इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित गई जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 24.08.2024 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व पत्र सं. आर.टी.आई/2024–25/372 दिनांकः 29.08.2024 के माध्यम से उनके अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित दस्तावेजी सूचना से बिन्दुवार सूचित किया जा चुका है, साथ ही अपील के अनुसरण में भी पत्र सं. आर.टी.आई/2024–25/413–14 दिनांकः 04.11.2024 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।
7. अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधी उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचनानुसार जॉच कार्यवाही विचाराधीन है, के आलोक में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में किया गया **विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त** है। उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 27.11.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(मुकेश कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)